फाइल नं0-71-1001/40/2020

30/2022/I/141941/2022

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनॉक 21 फरवरी, 2022

विषय:-राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्युलर ओ0टी0 की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्युलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 2081.58 लाख + जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-35/2019/4895/71-1-2018-जी-132/2018टी0सी0, दिनॉक 07.03.2019 द्वारा निर्गत की गई थी। पुन: शासनादेश संख्या-100/2020/2896/71-1-2020-जी-132/2018टी0सी0, दिनॉक 28.08.2020 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 1367.14 लाख (जी0एस0टी0 सहित) आकलित की गई। प्रश्नगत कार्य हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक कुल रू0 1025.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2021/366, दिनांक 03-08-2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्युलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1611.88 लाख (रू0 सोलह करोड़ ग्यारह लाख अट्ठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1. प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये, जिसकी देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराया जाय।
2. नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये यदि आवश्यक हो।
3. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित माड्युलर ओ0टी0 संबंधी कार्यमदों की लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं/अधिकृत वितरकों से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त की जाय। चूँकि यह विशेष श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये एवं ध्यान रखते हुए विभागीय पद्धति द्वारा कार्य कराया जाये।
4. प्रस्तावित आगणन का परीक्षण विशिष्टियों, मेक/ब्रांड को दृष्टिगत करते हुए सर्वश्रेष्ठ एवं न्यूनतम दर के आधार पर किया गया है। अत: आगणन एवं मूल्यांकन में अंकित विशिष्टियों, मेक/ब्रांड को सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करते हुए ही समस्त कार्य कराये जाय, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन होने पर पुन: मूल्यांकन आवश्यक है।

5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के कराये जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में प्रधानाचार्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाये तथा इसी समिति की देख-रेख में प्राप्त सामग्री का उपयोग/अनुपयोग का निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
8. प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. प्रायोजना प्रस्तावित गीजर की लागत को अनुमन्य किया गया है, इस हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन क्रय किया जाये।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगा।
14. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
15. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् बने रहेंगे।
16. प्रायोजना में अनुमोदित कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में ही पूर्ण किये जाएंगे।
17. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
18. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
19. जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार ही देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-3452-दस-2021-22, दिनॉक 11 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।